अरुण तिवारी

पेरिस जलवायु समझौता

पेरिस जलवायु समझौता, अभी सिर्फ एक समझौता भर है। कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में से 55 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों में से 55 देशों की सहमति के बाद समझौता एक कानून में बदल जायेगा। यह कानून, सहमति तिथि के 30वें दिन से लागू हो जायेगा। इसी के मद्देनजर तय हुआ है कि सदस्य देश 22 अप्रैल, 2016 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचकर समझौते पर विधिवत् हस्ताक्षर करेंगे।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन पर महासम्मेलन के 21वें दौर की वार्ता (Cop-21: 21st Session of Conference of Parties to the UNFCCC/CMP-11-11th Session of meeting of parties to the Kyoto Protocol) का आयोजन 30 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2015 के दौरान किया गया। पेरिस में सम्मेलनोपरांत 195 देशों द्वारा ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर सहमति व्यक्त की गई। समझौते के तहत पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में इस शताब्दी की वैश्विक तापन वृद्धि दर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड़ से कम रखना तय किया गया है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में देशों को क्षमतावान बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है।

किसी और नजरिए से हम पेरिस जलवायु समझौते के नफा-नुकसान की तलाश तो कर सकते हैं, किंतु यह नहीं कह सकते कि यह समझौता पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करेगा; अर्थात यह समझौता, तापमान वृद्धि रोकने में तो कुछ मदद ही करने वाला है पेरिस जलवायु समझौते की यही उपलब्धि है। ''पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।''-तारीख 12 दिसंबर, 2015, समय शाम 7:16 मिनट पर हुई फ्रांसीसी विदेश मंत्री लारेंट फेबियस द्वारा की गई यह उद्घोषणा, तत्पश्चात् तालियों की गड़गड़ाहट, चियर्स के शब्द बोल, सीटियों की गूंज और इन सबके बीच कई चेहरों को तरल कर गई हर्ष मिश्रित अश्रु बूंदों का संदेश भी यही है। इस समझौते को इस मुकाम तक लाने के लिए एक लंबी और मुश्किल कवायद की गई थी। इसी कवायद के चलते यूरोपीय संघ के राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में स्वैच्छिक कटौती की कानूनी बाध्यता को स्वीकारा, अमेरिका ने 'घाटा और क्षति' की शब्दावली को और भारत-चीन ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने देने की आकांक्षा को। 134 देश,

आज विकासशील की श्रेणी में हैं। उनके हक में माना गया है कि विकसित की तुलना में गरीब व विकासशील देश कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं; जबकि कार्बन उत्सर्जन कटौती की कवायद में उनका विकास ज्यादा प्रभावित होगा; लिहाजा, विकसित देश घाटा भरपाई की जिम्मेदारी लें। इसके लिए 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' बनाना तय हुआ कि वर्ष 2025 तक इस विशेष कोष में 100 अरब डॉलर की रकम जमा कर दी जाये।

- वर्ष 2020 से प्रभावी होने वाले इस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति के आंकलन हेतु 2023 से वैश्विक समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर समीक्षा की जाती रहेगी।
- यह पहल देशों में जलवायु खतरे की प्रत्याशा (Anticipate Climate Hazard) परिणामों का अवशोषण (Absorb Consequences) एवं विकास को नई आकृति प्रदान करने हेतु (Reshape Development) वित्त एवं ज्ञान की साझेदारी को प्रोत्साहित करेगी।
- जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन एवं स्विट्जरलैंड द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से 500 मिलियन डॉलर की 'परिवर्तनकारी कार्बन परिसंपत्ति सुविधा' (Transformative, Carbon Asset Facility) शुरू की गई।
- पेरिस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की घोषणा की गई।
- सौर सहयोग हेतु 'सौर प्रोद्योगिकी एवं अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी (International Agency for Solar Technologies and Application IASTA) की शुरूआत की गई।
- IASTA का मुख्यालय भारत में होगा।
- 400 मिलियन डॉलर के लक्ष्य वाली इस संस्था में भारतीय हिस्सेदारी 30 मिलियन डॉलर की होगी।
- वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के भारतीय लक्ष्य के आलोक में यह एजेंसी भाारत हेतु महत्वपूर्ण है।
- पेरिस सम्मेलन के दौरान चीन, अमेरिका, भारत, जापान जैसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों सहित 21 देशों में 20 अरब डॉलर से एक महत्वाकांक्षी अभियान 'मिशन इनोवेशन' को प्रारम्भ किया गया।
- मिशन इनोवेशन में प्रत्येक देश स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान में अपने वर्तमान बजट को दोगुना करने की शपथ के साथ सम्मिलित हुआ है।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन सर्वोच्च स्तर पर रहा। चीन, सं.रा. अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, रूस और जापान सबसे बड़े (घटते क्रम में) कार्बन उत्सर्जक देश रहे।

क्या कहते हैं समीक्षक?

गौर कीजिए कि पेरिस जलवायु समझौता, अभी सिर्फ एक समझौता भर है। कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में से 55 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों में से 55 देशों की सहमति के बाद समझौता एक कानून में बदल जायेगा। यह कानून, सहमति तिथि के 30वें दिन से लागू हो जायेगा। इसी के मद्देनजर तय हुआ है कि सदस्य देश 22 अप्रैल, 2016 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचकर समझौते पर विधिवत् हस्ताक्षर करेंगे। जाहिर है कि पेरिस जलवायु समझौते को कानून में बदलता देखने के लिए हम सभी को अभी अगले पृथ्वी दिवस का इंतजार करना है। किंतु 'कॉप21' के समीक्षक इसका इंतजार क्यों करें? कॉप21 के नतीजे में जीत-हार देखने का दौर तो सम्मेलन खत्म होने के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। किसी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि कहा, तो किसी ने इसे धोखा, झूठ और कमजोर करार दिया; खासकर, गरीब और विकासशील देशों के हिमायती विशेषज्ञों द्वारा समझौते को आर्थिक और तकनीकी तौर पर कमजोर बताया जा रहा है। विशेषज्ञ प्रतिक्रिया है कि जो सर्वश्रेष्ठ संभव था, उससे तुलना करेंगे, तो निराशा होगी। जलवायु मसले पर वैश्विक समझौते के लिए अब तक हुई कोशिशों से तुलना करेंगे, तो पेरिस सम्मेलन की तारीफ किए बिना नहीं रहा जा सकता।

विरोध के बिंदु

विज्ञान पर्यावरण केन्द्र की महानिदेशक सुनीता नारायण का स्पष्ट मत है कि वायुमंडल में विषैली गैसों का जो जखीरा तैर रहा है, वह पैसे के ऊंचे पायदान पर बैठे देशों की देन हैं। उन्होंने अपना कार्बन उत्सर्जन घटाने का न पूर्व में कोई विशेष प्रयास किया है और न अब करने के इच्छुक हैं। स्वच्छ ऊर्जा के लिए उन्होंने पूर्व में न धन देकर कोई मदद की, न तकनीक। फिर भी वे उम्मीद करते हैं कि विकासशील देश, विकसित देशों की निगरानी में स्वच्छ ऊर्जा में कटौती के लिए बाध्य किए जायें।

समझौते को नाकाफी अथवा सौदेबाजी बताने वालों का मुख्य तर्क यह है कि जो जिम्मेदारियां, विकसित देशों के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए थी, वे बाध्यकारी खण्ड में नहीं रखी गई। कायदे से विकसित देशों को चाहिए कि वे वायुमंडल के कार्बन खण्ड में उतना स्थान खाली करें, जितना उन्होंने दूसरे देशों के हिस्से का घेर रखा है। किंतु समझौते के बाद अब विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन कटौती लक्ष्य की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं रह गई है। मानना होगा कि विकसित देश, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की क्षतिपूर्ति की जवाबदेही को विकासशील देशों के कंधे पर स्थानान्तरित करने में सफल रहे। सर्वाधिक विरोध इस बात का है कि 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' के लिए 100 अरब डॉलर धनराशि एकत्र करना तो बाध्यकारी बनाया गया है, किंतु कौन सा देश कब और कितनी धनराशि देगा; यह बाध्यता नहीं है। समझौते में कहा गया है कि 2025 तक अलग-अलग देश अपनी सुविधा से 100 बिलियन डॉलर के कोष में

योगदान देते रहें।

गौर कीजिए कि समझौते के दो हिस्से है : निर्णय खण्ड और समझौता खण्ड। निर्णय खण्ड में लिखी बातें कानूनन बाध्यकारी नहीं होंगी। समझौता खण्ड की बातें सभी को माननी होंगी। विकासशील और गरीब देशों को इसमें छूट अवश्य दी गई है, किंतु संबंधित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति करना तो उनके लिए भी बाध्यकारी होगा। मलाल इस बात का भी है कि 100 अरब डॉलर के कार्बन बजट को एक हकदारी की बजाय, मदद की तरह पेश किया है; जबकि सच यह है कि कम समय में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य को पाने के लिए जिन हरित तकनीकियों को आगे बढ़ाना होगा, वे मंहगी होंगी। गरीब और विकासशील देशों के लिए यह एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ की तरह होगा। निगरानी व मूल्यांकन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समिति उन्हें ऐसा करने पर बाध्य करेगी। न मानने पर कार्बन बजट में उस देश की हिस्सेदारी रोक देंगे। बाध्यता की स्थिति में तकनीकों की खरीद मजबूरी होगी। इसीलिए सम्मेलन पूर्व ही मांग की गई थी कि उत्सर्जन घटाने में मददगार तकनीकों को पेटेंटमुक्त रखना तथा हरित तकनीकी के हस्तांतरण को मुनाफा मुक्त रखना बाध्यकारी हो, किंतु यह नहीं हुआ। नये मसौदे में हवाई यात्रा के अंतर्राष्ट्रीय यातायात तंत्र पर बात नहीं है। सच्चाई यह है कि कार्बन बजट के साथ-साथ अन्य बाध्यतायें न होने से अमेरिका और हरित तकनीकों के विक्रेता देश खुश हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहत की सांस ली है। वे जानते हैं कि बाध्यकारी होने पर सीनेट में उसका घोर विरोध होता। सम्मेलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को बार-बार बधाई के पीछे एक बात संभवतः यह राहत की सांस भी है।

भारतीय पक्ष

उक्त परिदृश्य के आइने में कह सकते हैं कि पेरिस सम्मेलन, आंशकाओं के साथ शुरू हुआ था और आशकांओं के साथ ही खत्म हुआ, किंतु इसमें भारत ने अहम भूमिका निभाई; इसे लेकर किसी को कोई आशंका नहीं है; न विशेषज्ञ स्वयंसेवी जगत को और न मीडिया जगत को। इस सम्मेलन में भारत, विकासशील और विकसित देश की अंतरेखा खींचने में समर्थ रहा। वह समझौते में 'जलवायु न्याय', 'टिकाऊ जीवन शैली' और 'उपभोग' जैसे शब्दों के शामिल कराने में सफल रहा। हम गर्व कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन को लेकर फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने वाकई नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। भारत ने कार्बन उत्सर्जन में स्वैच्छिक कटौती की महत्वाकांक्षी घोषणा की; तद्नुसार भारत, वर्ष 2005 के अपने कार्बन उत्सर्जन की तुलना में 2030 तक 30 से 35 फीसदी तक कटौती करेगा। इसके लिए भारत, अपने बिजली उत्पादन के 40 प्रतिशत हिस्से को कोयला जैसे जीवाश्म ऊर्जा स्त्रोतों के बिना उत्पादित करेगा। 2022 से एक लाख, 75 हजार मेगावॉट बिजली, सिर्फ अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से पैदा करेगा। एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भारत ने 2030 तक 2.5 से तीन अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड अवशोषित करने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत वन क्षेत्र में पर्याप्त इजाफा करेगा। भारत, इस कार्य को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कोष का गठन करेगा। भारत ने यह घोषणा, यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाईमेट चेंज (यू एन एफ सी सी) के समक्ष की है। भारत ने इस घोषणा को इंटेडेंट नेशनली डिटरमाइंड कन्ट्रीब्युशन (आई एन डी सी) का नाम दिया।

इन कवायदों के बदले में भारत को 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' नामक विशेष कोष से मदद मिलेगी। यह पैसा बाढ़, सुखाड़, भूकम्प जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की एवज में नहीं, बल्कि भारतीयों के रहन-सहन और रोजी-रोटी के तौर-तरीकों में बदलाव के लिए मिलेगा। अन्य पहलू यह होगा कि किंतु जीवाश्म ऊर्जा स्त्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को विदेशी कर्ज मिलना लगभग असंभव हो जायेगा। अन्य देशों की तरह भारत को भी हर पांच साल बाद बताना होगा कि उसने क्या किया। गौर करने की बात यह भी है एक वैश्विक निगरानी तंत्र बराबर निगाह रखेगा कि भारत कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। निगरानी, समीक्षा तथा मूल्यांकन-ये कार्य एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की नजर से होगा। असल समीक्षा कार्य 2018 से ही शुरू हो जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर समीक्षा होगी।

भारतीय आशंका

अंतर्राष्ट्रीय मानक, भारत की भू सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक विविधता के अनुकूल हैं या नहीं? समझौते के कारण भारत किन्हीं नई और जटिल बंदिशों में फंस तो नहीं जायेगा? भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2008 में भी राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश की थी। अक्षय ऊर्जा दक्षता, कचरे का बेहतर निस्तारण, पानी का कुशलतम उपयोग, हिमालय संरक्षण, हरित भारत, टिकाऊ कृषि व पर्यावरण ज्ञान तंत्र का विकास - उसके आठ लक्ष्य क्षेत्र थे। गत् सात वर्षों में हम कितना कर पाये? आगे नहीं कर पायेंगे, तो क्या हमें कार्बन बजट में अपना हिस्सा मिलेगा? नहीं मिला, तो भारत की आर्थिक स्थिति किस दिशा में जायेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्बन उत्सर्जन घटाने और अवशोषण बढ़ाने की हरित तकनीकों को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति के इशारे पर नाचने पर मजबूर हो जायेंगे?

भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन औसत दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम है, किंतु कुल उत्सर्जन में भारत, दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। सकल घरेलू उत्पाद दर की दृष्टि से भी भारत, दुनिया का तीसरा अग्रणी देश है। इस रैंकिंग के आधार पर आगे चलकर भारत को कहा जा सकता है कि वह ग्रीन क्लाइमेट फंड से लेने की बजाय, उसकी तुलना में कम उत्सर्जन करने वालों को दे। यूं भी भौतिक-आर्थिक विकास और शहरीकरण की जिस मंजिल की ओर भारत आगे बढ़ चला

वर्ष 2020 से प्रभावी होने वाले इस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति के आंकलन हेतु 2023 से वैश्विक समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर समीक्षा की जाती रहेगी।

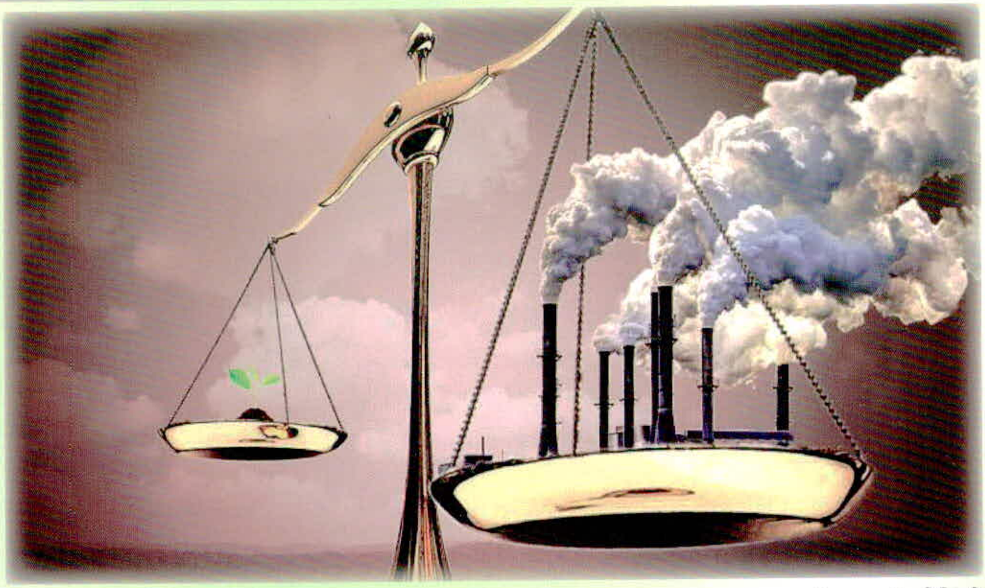

है, उस मंजिल की राह में औद्योगिक, घरेलू और कृषि ही नहीं, वाणिज्यिक क्षेत्र की ऊर्जा मांग का आंकड़ा घटने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल, भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्त्रोत माने जाने वाले कोयले से ही हो रहा है। विकल्प हैं, किंतु विकल्पों के लिए जो तैयारी और वक्त चाहिए; क्या पेश लक्ष्य हमें इतना वक्त देता है कि हम कोयला खनन और ताप विद्युत को उतने समय में अलविदा कह सकें? पनबिजली संयंत्र, औद्योगिक संयंत्र, फसल जलाव, वाहन व कचरा आदि कार्बन उत्सर्जन के अन्य मुख्य स्त्रोत हैं। कचरे की तुलना में उसके वैज्ञानिक निष्पादन की हमारी क्षमता बेहद कम है। इन स्थितियों के मद्देनजर, क्या कार्बन कटौती के पेश लक्ष्य की पूर्ति हेतु तय समय सीमा, भारत के लिए एक मुश्किल चुनौती नहीं बनने वाली? निस्संदेह, हवा-पानी ठीक करने का भारतीय मोर्चा भी इन तमाम आशंकाओं से मुक्त नहीं है। गौर कीजिए कि कार्बन उत्सर्जन, अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। क्या होगा? कोई ताज्जुब नहीं कि वर्ष 2023 आते-आते भारत, कार्बन उत्सर्जन में कटौती की अपनी स्वैच्छिक उद्घोषणा का उल्लंघन करने पर स्वयं ही विवश हो जाये। जो कुछ होगा, वह भारत के संकल्प, विकास मॉडल, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की व्यापकता, सामर्थ्य और वैश्विक बजारू शक्तियों की मंशा पर निर्भर करेगा।

पेरिस समझौते में निम्न बिंदुओं पर बल दिया गया है।

- तापमान वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्बन उत्सर्जन में तीव्र कमी,
- पारदर्शी प्रणाली एवं सर्वेक्षण-जलवायु कार्रवाई लेखांकन।
- अनुकूलन-जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने हेतु क्षमता विस्तार।
- नुकसान एवं क्षति-जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से उबरने हेतु क्षमता निर्माण तथा, सहयोग-लोचशीलता एवं स्वच्छता हेतु वित्तीय सहयोग।
- वर्ष 2020 तक 100 बिलियन डॉलर की जलवायु निधि हेतु एक स्पष्ट रोडमैप बनाया जाएगा।
- वर्ष 2025 से पहले जलवायु निधि हेतु एक नया लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

कॉप 21 : पक्ष-विपक्ष

बान की मून (संयुक्त राष्ट्र महासचिव)-''यह धरती के लिए ऐतिहासिक जीत का क्षण है। इससे दुनिया से गरीबी खत्म करने का मंच तैयार होगा। यह सभी देशों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। कोई यह लक्ष्य अकेले हासिल नहीं कर सकता था।''

पेरिस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून द्वारा विश्व के अत्यधिक सुभेद्य देशों में जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने हेतु एंटीसिपेट, एबजॉर्ब, रीशेप (Anticipate, Absorb, Reshape) पहल शुरू की गई।

बराक ओबामा (अमेरिकी राष्ट्रपति)-''आज अमेरिकी गर्व कर सकते हैं कि सात सालों से हमने अमेरिका को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में विश्व प्रमुख बनाया है। यह समझौता धरती को बचाने के हमारे प्रयासों को सफल बनायेगा।''

अल गोर (पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति)-''मैं पिछले दो दशक से इस तरह के सम्मेलनों में जाता रहा हूं। मेरी नजर में यह सबसे कुशल कूटनीति का नतीजा है।''

माइगेल एरिस कनेटे (जलवायु प्रमुख, यूरोप)-''यह आखिरी मौका था और हमने इसे पकड़ लिया।''

भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन औसत दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम है, किंतु कुल उत्सर्जन में भारत, दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। सकल घरेलू उत्पाद दर की दृष्टि से भी भारत, दुनिया का तीसरा अग्रणी देश है। यूं भी भौतिक-आर्थिक विकास और शहरीकरण की जिस मंजिल की ओर भारत आगे बढ़ चला है, उस मंजिल की राह में औद्योगिक, घरेलू और कृषि ही नहीं, वाणिज्यिक क्षेत्र की ऊर्जा मांग का आंकड़ा घटने की कोई संभावना नहीं है।

डेविड कैमरन (ब्रितानी प्रधानमंत्री)-''इस पीढ़ी ने अपने बच्चों को सुरक्षित धरती सौंपने के लिए अहम कदम उठाया है। इस समझौते की खूबी यह है कि इसमें धरती बचाने के लिए हर देश को जिम्मेदारी दी गई है।''

नरेन्द्र मोदी (भारतीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार)-''पेरिस समझौते का जो परिणाम है, उसमें कोई भी हारा या जीता नहीं है। जलवायु न्याय जीता है और हम सभी एक हरित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं।

प्रकाश जावड़ेकर (केन्द्रीय वन एवम् पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार)-यह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है, जब सभी ने सिर्फ एक समझौते को अंगीकार ही नहीं किया, बल्कि धरती के साथ अरब लोगों के जीवन में उम्मीद का एक नया अध्याय भी जोड़ा। हमने आज भावी पीढ़ियों को यह आश्वासन दिया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उपजी चुनौती को कम करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और उन्हें एक बेहतर भविष्य देंगे।''

कुमी नायडू (कार्यकारी अधिकारी, ग्रीनपीस इंटरनेशनल)-''कभी-कभी लगता है कि सयुंक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देश कभी किसी मुद्दे पर एकजुट नहीं हो सकते, किंतु करीब 200 देश एक साथ आये और समझौता हुआ।''

स्ट्र्न (अगुआ जलवायु अर्थशास्त्री)-''उन्होंने अत्यंत सावधानी बरती; सभी को सुना और सभी से सलाह ली। यह फ्रांस के खुलेपन, राजनयिक अनुभव और कौशल से संभव हुआ।''

शी जेनहुआ (चीन के वर्ताकार)-''हालांकि, यह समझौता हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, किंतु समझौता श्रेष्ठ नहीं है। कुछ मामलों में काफी सुधार की जरूरत है।''

पॉल ओक्टिविस्ट (निकारगुआ के प्रतिनिधि) ''हम संधि का समर्थन नहीं करते। यह वैश्विक तापमान को कम करने व प्रभावित गरीब देशों की मदद के मामले में नाकाफी है।''

तोसी मपाने (कांगो के वर्ताकार)-''ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात समझौते मे रखी गई है किंतु यह बाध्यकारी हिस्से में नहीं है। उन्होंने इसे कानूनी रूप नहीं लेने दिया।''

सुनीता नारायण (महानिदेशक, विज्ञान एवम् पर्यावरण केन्द्र, दिल्ली)-''यह एक कमज़ोर और गैर महत्वाकांक्षी समझौता है। इसमें कोई अर्थपूर्ण लक्ष्य शामिल नहीं है।''

जेम्स हेनसन (विशेषज्ञ)-''यह समझौता, एक झूठ है। यह धोखापूर्ण है। यही इसकी सच्चाई है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ वायदे हैं। जब तक जीवाश्म ईंधन सस्ते में उपलब्ध रहेगा; यह जलाया जाता रहेगा।''

सम्पर्क सूत्र :
अरुण तिवारी
146, सुंदर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-92
मो.न. 9868793799